प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति।

दांडिक अपील संख्या 911 वर्ष 1995

तिरिथ राम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

19/10/2011 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षर/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ:</u> <u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति।</u>

<u>दांडिक अपील संख्या 911 वर्ष 1995</u>

<u>अपीलकर्त्ता</u> : तिरिथ राम, पिता सहश्रम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम रानीसागर, थाना कोटा, तहसील कोटा जिला बिलासपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> : म.प्र. राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति:

श्री एम.डी. धोते और श्री बी.पी. गुप्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री आर.आर. सिन्हा, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

निर्णय (19.10.2011)

(1) यह अपील बिलासपुर के पाँचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 424/93 में दिनांक 26 जून, 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और उसे निम्नलिखित प्रकार से सजा सुनाई गई है, साथ ही सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश भी दिया गया है:-

दोषसिद्धि	**दंड**
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत	कठोर कारावास 3 साल के लिए
भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत	कठोर कारावास 4 साल के लिए
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत	कठोर कारावास7 साल तक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 6 सितंबर 1993 को शाम लगभग 7 बजे पीड़िता (अ.सा-1) को गांव के बाहरी इलाके में चार आरोपियों ने पकड़ लिया। आरोपी तिरिथ राम ने उसे पास के एक पीपल के पेड़ तक घसीटा, जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता को तिरिथ राम के घर ले जाया गया। वहां भी उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए। सुबह लगभग 4 बजे, आरोपियों ने पीड़िता को आरोपी तिजाउरम के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वहां भी आरोपी तिरिथ राम ने उसके साथ यौन संबंध बनाए। फिर, रात लगभग 8 बजे, पीड़िता को रानीसागर गांव लाया गया और उसे उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया

गया। पीड़िता (अ.सा-1) अपने घर आई और उसने अपने पिता बौजवा (अ.सा-2) और माता चतुर बाई (अ.सा-4) को पूरी कहानी सुनाई। 8.9.93 को कोटा पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आईपीसी की धारा 363, 342 और 376/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। उसकी जांच डॉ. (श्रीमती) एम. सेन (अ.सा-10) ने की। पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। उसके गुप्तांग पर भी कोई चोट नहीं थी। उसकी कौमार्य की झिल्ली फटी हुई थी और वह यौन संबंध बनाने की आदी पाई गई। यौन संबंध बनाने के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी गई। चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श पृष्ठ 13-ए है। पीड़िता को अस्थि निर्माण परीक्षण के लिए भेजा गया। उसे जिला अस्पताल, बिलासपुर रेफर किया गया। अस्थिभवन परीक्षण डॉ. शेखर चटर्जी (अ.सा-5) द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक्स-रे परीक्षण किया और अपनी राय दी कि पीड़िता की आयु परीक्षण की तिथि यानी 25.9.93 को लगभग 16 वर्ष थी। अस्थिभवन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पृष्ठ संख्या 6 है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता (अ.सा-1), उसके पिता बौजवा (अ.सा-2) और माता चतुर बाई (अ.सा-4) की गवाही पर भरोसा करते हुए यह माना कि घटना के दिन पीड़िता नाबालिग थी और अपीलार्थी द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाए गए थे, इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत दंड का पात्र है। अतः विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई, हालांकि अन्य सह-आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 342 और 376 (2) (जी) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.डी. धोते ने तर्क दिया कि आयु संबंधी निष्कर्ष विकृत है; अभियोक्ता का बयान अस्वाभाविक है और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा

समर्थित नहीं है; वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है; उसके साक्ष्य विश्वासयोग्य नहीं हैं; इसलिए, सत्र न्यायालय के निर्णय और निष्कर्षों को रद्द किया जाना चाहिए।

(5) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र के मामले के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है।

(7) अभियोक्ता की आयु के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट के अलावा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें उसकी आयु पाई गई थी।लगभग 16 वर्ष। बौजवा (अ.सा-2) ने गवाही दी है कि उनके 8 बेटे और 11 बेटियाँ थीं। हालाँकि उन्होंने कई तथ्यों का उल्लेख किया, लेकिन वे पीड़िता (अ.सा-1) की सही उम्र नहीं बता सके। अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका-7 में उन्होंने स्वीकार किया कि पीड़िता का जन्म उनके घर में हुआ था और गाँव कोटवार ने इसकी लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा कोटवारी रजिस्टर आदि की ऐसी कोई प्रविष्टि साबित नहीं की गई है। चतुर बाई (अ.सा-4) ने भी पीड़िता की उम्र के बारे में अस्पष्ट बयान दिया है। हालाँकि उन्होंने दावा किया कि पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने पीड़िता के जन्म के वर्ष और महीने के बारे में गवाही नहीं दी। अभियोजन पक्ष द्वारा स्कूल रजिस्टर की प्रतियाँ भी पेश नहीं की गई हैं। जाँच करने पर, हम पाते हैं कि पीड़िता की उम्र के संबंध में माता-पिता का साक्ष्य कमजोर है। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के संबंध में, मोदी के न्यायशास्त्र (20वां संस्करण) में कहा गया है कि विभिन्न लेखकों द्वारा देखे गए कुछ एपिफाइसिस के प्रकट होने और जुड़ने की आयु और वर्षों को दर्शाने वाली तालिका पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल औसत दर्शाती है और विकास की अनियमितताओं के कारण एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ही प्रांत के व्यक्तिगत मामलों में भी भिन्न हो सकती है। इसमें आगे कहा गया है कि हाल के शोध से पता चला है कि त्रुटि की सीमा दोनों तरफ 3 वर्ष तक हो सकती है। रेडियोलॉजिस्ट ने पाया है कि घटना की तारीख को पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। यदि हम रेडियोलॉजिस्ट द्वारा दर्ज की गई 16 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जोड़ दें, तो पीड़िता की आयु 19 वर्ष हो जाएगी। वास्तव में, उपरोक्त रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अलावा, पीड़िता की आयु के संबंध में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। मेरा मानना है किउपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह गलत माना है कि घटना के दिन पीड़िता नाबालिग थी और उपरोक्त निष्कर्ष को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) पीड़िता (अ.सा-1) ने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम को जब वह शौच के लिए जा रही थी, तब आरोपी तिरिथ राम, वेद प्रकाश और तिजाउराम उसके पीछे आए। आरोपी तिरिथ राम के पास तबला और चाकू था। उसने उसे पास के एक पीपल के पेड़ के पास घसीटा और उसके बाद उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। यौन संबंध के बाद, आरोपी उसे आरोपी तिजाउराम के घर ले गए और उसे अपीलकर्ता के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। वहां भी अपीलार्थी ने उसके साथ 2-3 बार यौन संबंध बनाए। देर रात, आरोपी तिजाउराम उसे एक सार्वजनिक बस में कहीं ले गया। उसे उस जगह का नाम नहीं पता। इसके बाद उसे पिपरताराई गांव के रास्ते में छोड़ दिया गया। वह अपने घर पहुंची और अपने माता-पिता को पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में एक नई कहानी बताई है। अभियुक्त तिजाउरम के साथ सार्वजनिक बस में यात्रा करने की घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। इसका उल्लेख पीड़िता की केस डायरी के बयानों (प्रदर्श.-D/2) में भी नहीं है। अभियोजन पक्ष ने भी यही बात नहीं कही है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि चार अभियुक्तों में से, अभियुक्त तिरिथ राम (अपीलार्थी), वेद प्रकाश और माधो सगे भाई हैं। वे सहस्रम् सतनामी के पुत्र हैं। पीड़िता का दावा है कि तिरिथ राम ने

अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति में उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए।यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि तीन सगे भाई इस तरह के कृत्य में शामिल हों और उनमें से एक खुले स्थान पर दूसरों के सामने जबरन यौन संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि उसे आरोपियों के घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ भी आरोपी ने उसके साथ यौन संबंध बनाए। यह स्वीकार किया जाता है कि घर में परिवार के अन्य सदस्य भी रहते थे, लेकिन उन्हें इस सब की जानकारी नहीं थी। माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले के कंडिका-17 में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की है और पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय बताया है। सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय बताते हुए और उसकी गवाही पर भरोसा न करने योग्य बताते हुए कई उदाहरण दिए हैं। कंडिका-17 (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में स्पष्ट रूप से ऐसा निष्कर्ष दर्ज करने के बावजूद, माननीय सत्र न्यायाधीश ने सभी सह-आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यौन अपराधी की पीड़िता के साक्ष्य को समर्थन के अभाव में भी बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि वह एक पीड़ित गवाह के बराबर है, लेकिन तथ्य यह है कि उसके साक्ष्य से न्यायालय का विश्वास जागृत होना चाहिए।

(10) इस मामले में अभियोक्ता का साक्ष्य न्यायालय को विश्वास नहीं दिलाता। उसने अपने न्यायालयीय साक्ष्य में नई कहानी बताई है। उसने अपीलकर्ता द्वारा अपने दो सगे भाइयों की उपस्थिति में यौन संबंध बनाने का अस्वाभाविक विवरण दिया है। हालाँकि उसने यह भी बयान दिया कि बलात्कार एक खुले मैदान में, पीपल के पेड़ के पास, काफी बल प्रयोग करते हुए उस पर हमला किया गया, लेकिन उसे कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं आई। उसका बयान चिकित्सा साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले के कंडिका -17 में दो-तीन बार

कारण सहित सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने के बावजूद कि वह एक अविश्वसनीय गवाह थी, अपीलकर्ता को उसकी गवाही के आधार पर दोषी ठहराया है।

(11) मेरा यह मत है कि सत्र न्यायाधीश ने अभियोक्ता की गवाही पर अपीलार्थी को दोषी ठहराने में निश्चित रूप से गलती की है।

(12) उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की उपर्युक्त धाराओं के तहत अपीलार्थी को दी गई सजा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते है और मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- YOGITA NAIK Advocate